

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेरनजरसानी / टी.ए. / 274 / 07 / जिला करौली

- 1- गौरी शंकर
- 2- राम किशन
पुत्रान भगवानलाल जाति ब्राहमण निवासी पहाडी तहसील
करौली हाल निवासी धन्नुकापुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।
.....प्रार्थीगण

बनाम

- 1- केदारलाल पुत्र किन्दूरीलाल जाति महाजन निवासी भगतपुरा
(गुडला पहाडी) तहसील व जिला करौली
- 2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली।
.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थिति :

- श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक प्रार्थीगण ।
श्री सतीश पारीक अभिभाषक अप्रार्थी ।

दिनांक : 24-11-2011

निर्णय

- 1- हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या-3700/03 में दिनांक 27-11-2006 को पारित निर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है ।

3
24/11

2- पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/वादीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध उपखंड अधिकारी करौली के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थनापत्र सहित प्रस्तुत किया। उपखंड अधिकारी करौली ने धारा 212 के प्रार्थनापत्र को अपने आदेश दिनांक 26-12-02 द्वारा खारिज कर दिया। तत्पश्चात प्रार्थीगण ने उक्त आदेश दिनांक 26-12-2002 को निरस्त कराने हेतु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने आदेश दिनांक 28-7-2003 द्वारा निरस्त कर दी। उक्त आदेश दिनांक 28-7-2003 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने निर्णय दिनांक 27-11-2006 द्वारा उक्त निगरानी याचिका को खारिज कर दिया। मण्डल के उक्त आदेश दिनांक 27-11-2006 से व्यथित होकर हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन हेतु आधार इस प्रकार बताये गये हैं कि विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में यह अंकित नहीं किया गया है कि निगरानी किस आधार एवं कारण से निरस्त की गई है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी को विक्रय करने पर आमदा है और विक्रय होने की स्थिति में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। आराजी खसरा नम्बर 188 व 229 प्रार्थीगण/वादीगण की पुस्तैनी व कब्जा काश्त की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के खातेदार

30
24/11

है। खसरा नम्बर 188 की खातेदारी घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के हक में कानून के प्रावधान अनुसार होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा और माननीय मण्डल द्वारा भी अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया है, जबकि प्रार्थीगण का कब्जा साबित है। पारिवारीक समझौते अनुसार खसरा नम्बर 188 प्रार्थीगण के हक में आया है। अतः कानून के प्रावधान के अनुसार दावा दायरी की स्थिति में विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखा जाना न्याय संगत है किंतु अधीनस्थ न्यायालयों ने व माननीय मण्डल ने भी विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रार्थीगण का निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो पूर्णतया विधि विरुद्ध था।

पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2006 को अपास्त करते हुये उपखण्ड अधिकारी करौली के निर्णय दिनांक 26-12-2002 और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-07-2003 को निरस्त किया जावे ओर प्रार्थीगण का धारा 212 का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

3- बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और आधारों को दोहराते हुये तर्क किया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि में 1/2 के हकदार है और खसरा नम्बर

30
24/11

188 उनके हिस्से में पारिवारिक समझौते अनुसार आया हुआ होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र वास्ते निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः आलोच्य निर्णय अपास्त किये जाकर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का विवेचन एवं विश्लेषण करने के बाद ही माननीय एकलपीठ ने आलोच्य निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय में देखने मात्र से प्रकट होने वाली कोई त्रुटि नहीं है। अगर प्रार्थीपक्ष उक्त निर्णय से पीड़ित है तो इसका समाधान पुनर्विलोकन के माध्यम से नहीं कराया जा सकता है क्योंकि पुनर्विलोकन का दायरा (scope) अत्यन्त सीमित है और पुनर्विलोकन की आड़ में प्रकरण की पुनः सुनवाई व पुनः निर्णय नहीं कराया जा सकता है। अतः हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जावे। अपने समर्थन में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने AIR 1995 (SC) page 455, RRD 2005 page 545 और RRD 2006 page 774 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय और रिकॉर्ड का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया और बहस उभयपक्ष व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया।

7- यह सुस्थापित विधि है कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में सफल होने के लिये पुनर्विलोकन अधीन निर्णय को देखने मात्र से

3
24/11

त्रुटि प्रकट होना आवश्यक है। ऐसी त्रुटि जो कि स्वयं प्रमाणित नहीं है एवं जिसका निर्धारण तर्क संगत प्रक्रिया से करना होता है, वह अभिलेख को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि की परिधि में नहीं आती है। AIR 1995 SC page 455 सहित न्यायिक दृष्टान्तों की एक लम्बी श्रृंखला है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि पुनर्विलोकन का प्रावधान अपील का स्थान नहीं ले सकता है। प्रेमराज बनाम श्रीमती मनभरदेवी के प्रकरण (2010 आरआरडी 254) के पैरा 6.3 में यथा उद्धृत राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर बनाम शौकतखान आदि के प्रकरण में राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पुनर्विलोकन के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में निम्न प्रकार प्रतिपादित किया गया है:-

“(a) Hon’ble Supreme Court and the Hon’ble High Court have held in several matters that the remedy of review is not an instrument for re-examination of the facts and it cannot be utilized as an instrument for re-writing the judgment. The scope of review does not provide an opportunity of an extra appeal. It has been held that even when judgment is erroneous the scope of review is not attracted.

(b) The scope of review is very limited and review is not the method of re-examination of a judgment. It even does not give any scope to the court to sit in appeal over the judgment pronounced by the same court. The scope permits only to correct the mistakes which are apparent on the face of the record. **Hon’ble Supreme Court in Smt. Meera Bhanja Vs Nirmala Kumari Chaudhary, AIR 1995 SC page 455** clearly held that the error apparent on the face of the record should be such which should strike immediately looking at the face of the record and

3
2/11/11

which does not require any long drawn process of reasoning or examination of law. The courts are not supposed to re-appreciate the evidence but only restrict themselves for correction of the mistakes which are visible on the face of the record. **In Ajit Kumar Rath Vs. Orissa State AIR 2000 SC 85, the Hon'ble Apex Court** has held that the power is not absolute and it is subject to restrictions indicated in Order 47 CPC. A review cannot be claimed as a remedy for a fresh hearing or for correction of an erroneous view taken earlier.

(c) The power of review can be exercised only for correction of patent error of law or fact which stares on the face without any elaborate argument being needed in establishing it. The error apparent on the face of the record is one which is self-evident and does not require a process of reasoning and it is distinct from erroneous decision. Rehearing the matter or detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of the jurisdiction of review. Jurisdiction of review cannot be used as an appellate jurisdiction in disguise. **Hon'ble Supreme Court in State of Haryana Vs. Mohinder Singh 2003 (1) WLC (SC) page 499** considered the scope of review under Order 47 Rule 1 CPC which is reproduced here:- "Civil Procedure Code O.47 Rule 1- Scope- Hearing of review does not mean giving one more chance for rehearing matter already disposed of- High Court in hearing review as if it was rehearing whole petition overstepped its limits- Order of High Court set aside and original order restored."

3
24/11

9

8- इसी प्रकार 2010 RRD 212 में यथा उद्धृत 2005 (1) RRT 454 (SC) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिवादित किया गया है कि:-

“A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous.”

9- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 RBJ (12) page 290 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

ल

र

“The scope of review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self-evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between ‘an erroneous decision’ and ‘an error apparent on the face of the record.’ While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and can not be allowed to be an appeal in disguise.”

10- उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कि गलत निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है।


3
24/11

पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र में गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है अपितु मात्र अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है।

11- हस्तगत पुनर्विलोकन प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में पैरा 5 से 10 तक जो आधार लिये गये हैं, उनके बाबत इस न्यायालय का सुविचारित यह मत है कि उक्त प्रकार के आधार अपील के लो आधार हो सकते हैं किन्तु पुनर्विलोकन में इस प्रकार के आधार नहीं लिये जा सकते। पुनर्विलोकन की आड़ में हम सम्पूर्ण प्रकरण के गुणावगुण पर नये सिरे से सुनवाई व निर्णय नहीं कर सकते। विद्वान एकलपीठ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अध्ययन व पूर्ण विवेचन करने के पश्चात गुणावगुण पर आलोच्य निर्णय दिनांक 27-11-2006 पारित किया है, जिसमें अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य प्रकृति की कोई त्रुटि (an error apparent on the face of the record) परिलक्षित नहीं होती है। अतः नजरसानी प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है।

12- निष्कर्षतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


24/11/11
(मूलचन्द मीणा)

सदस्य